

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

विषय:- डब्ल्यू.पी. क-19059/2015 श्री अशोक कुमार, विरुद्ध म.  
प्र. शासन।

ॐॐॐॐ

पंजी. क्र. 6596/2015/स्था.19, दिनांक 30.11.2015

मान, उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त पत्र

ॐॐॐॐ

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

मान, उच्च न्यायालय जबलपुर में डब्ल्यू.पी. क-  
19059/2015 श्री अशोक कुमार, विरुद्ध म.प्र. शासन दायर की गई  
है। प्रकरण का संबंध कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग  
क्रमांक-1, जबलपुर से है।

2/ प्रकरण में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-1,  
जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा।  
तदनुसार जारी किये जाने वाले आदेश का प्रारूप/स्वच्छ  
हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

Recd  
30/12/15

अनुभाग अधिकारी (रिहा)

डा. अशोक कुमार

रजि.प.

डा. अशोक कुमार  
31/12/15

डा. प्रेम

31/12/15

01/01/16

4/SE  
G.O.

5  
21/16

नयन प्रवेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
जम्मा - 18-49 - / 20  
दिनांक - 04/01/2016



छत्तीस-२ सचिवालय

विषय:

विषय:- डब्ल्यू.पी. क-19059/2015 श्री अशोक कुमार, विरुद्ध म.  
प्र. शासन।

का विभाग

ॐॐॐॐ

पूर्व पृष्ठ से-

प्रमारी डा. धी मे निरुद्धि  
एकरीत शासन म प्रद समुर्धन  
देहु प्रवर्धन विधि विभाग को  
डा. फिल रुसा पाहिले।

Rup  
घा. 1/20/16

डा. फिल रुसा

04/03/16

अ. स. ०

सचिव

वि. प्र. शासन-११

05/03/16

चन्द्र प्रकाश अग्रवाल  
सचिव, म.प्र. शासन  
लोक निर्माण विभाग

मि. अ. स. ०  
मि. सचिव  
मि. वि. प्र. शासन-११

०४/०३/१६

72004

०४/०३/१६



मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक

04/04/2015

12/2015

क्रमांक-एफ-19-195/2015/स्था./19, राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-1, जबलपुर को मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक-19059/2015 श्री अशोक कुमार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म. प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ओर ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना..... प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
  - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
9. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।



8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।
9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हों।
10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदमे है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकदमे है, तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
(सुनील मंडावी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्र.-एफ-19-495/2015/स्था./19

भोपाल, दिनांक

04/04/2016  
12/2015

प्रतिलिपि:-निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण मध्य परिक्षेत्र- जबलपुर।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-1, जबलपुर को प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जा सके।
6. जिलाध्यक्ष- जबलपुर।

(सुनील मंडावी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

# HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

// MEMORANDUM //

①

Process Id: 178200/2015

Endt.No.Q/WP-DA-6/WP/19059/2015

Jabalpur, Dated 07-11-2015

To,

The State Of Madhya Pradesh,  
The Principal Secretary Public Works  
Department Vallabh Bhawan Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH)


Sub:- Copy of order passed by the Hon'ble Court.

\*\*\*\*\*

Please find enclosed herewith copy of order dated 05/11/2015 passed by the Hon'ble Court in WP/19059/ 2015 [ ASHOK KUMAR Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH ] for your needful at your end as per order of Hon'ble Court.

R  
6596  
30/11/15  
लोक निर्माण विभाग  
नगर प्रमुख कार्यालय  
जिला नगर

DEPUTY REGISTRAR(JUDICIAL)



Encl: As above

24/11/15



✓

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT  
AT JABALPUR**

WRIT PETITION NO. <sup>19059</sup>.....OF 2015

**PETITIONER :- ASHOK KUMAR**

Son of Late Dhaniram, aged about 52 years, working as Time keeper at Sub-Division P.W.D. (B & R) Division No. 2 Jabalpur, R/o Govt. Engineering College Campus Jabalpur, District Jabalpur (M.P.).

Presented on 31/10/15  
By S. Chandra Prasad  
Presenting Advocate

**:- VERSUS :-**

**RESPONDENT'S: -** 1. The State of M.P.

Through the Principal Secretary, Public Works Department Vallabh Bhawan, Bhopal (M.P.).

2. **Engineer In Chief**, P.W.D. Arera Hills, Nirman Bhawan, Bhopal (M.P.).
3. **Executive Engineer**, P.W.D. (B & R), Division No. 1, District Jabalpur (M.P.).

**WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION  
OF INDIA**

1. **PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST WHICH  
THIS PETITION IS BEING MADE: -**

- (i) Date of Notice: - Nil.
- (ii) Passed in Case No.: - Nil.
- (iii) Passed by: - Nil.
- (iv) **Subject Matter in Brief:** - That, by way of this petition the petitioner is not challenging any particular order but

